



Neutral Citation No. - 2026:AHC:34869

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए क्रमांक 17984/2025

श्रीमती रमा देवी और एक अन्य

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(कों) के अधिवक्ता : एकता कौर, जागृति सिंह

प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. हमने याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एकता कौर और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की बात सुनी।

2. विरोधी पक्षों के वकीलों ने संयुक्त बयान दिया है कि वे आगे कोई हलफनामा दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं, इसलिए पक्षों की सहमति से, रिट याचिका पर नए सिरे से निर्णय लिया जा रहा है।

3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता के पिता श्री रामफल सिंह (दिवंगत) पुलिस स्टेशन-सिविल लाइन, जिला मुरादाबाद में उपनिरीक्षक थे, जिनका 13.01.2004 को सेवाकाल में निधन हो गया। याचिकाकर्ता संख्या 1, जो मृतक की विधवा हैं, और याचिकाकर्ता संख्या 2, स्वर्गीय रामफल सिंह की पुत्री, मृतक पर आश्रित थीं। याचिकाकर्ता संख्या 2 ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रतिवादियों से संपर्क किया और 20.09.2013 को एक पत्र जारी किया गया जिसमें याचिकाकर्ता को जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, जिसे याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया। हालांकि, याचिकाकर्ता संख्या 2 के दावे पर विचार नहीं किया जा रहा था, इसलिए उन्होंने

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



रिट-ए संख्या 19687/2014 (पुष्पा देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य) दायर की, जिसमें 03.04.2014 को निम्नलिखित आदेश पारित किए गए:

इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने संबंधित अधिकारियों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए उसके दावे पर विचार करने का निर्देश देने हेतु न्यायालय से अनुरोध किया है। याचिकाकर्ता के पिता का 2004 में सेवारत रहते हुए निधन हो गया था और वे उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने 2005 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद नियुक्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन अधिकारियों द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

रिट याचिका का खारिज इस टिप्पणी के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 4 कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगी और चार महीने के भीतर उचित आदेश पारित करेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त नहीं की है कि याचिकाकर्ता नियुक्ति की हकदार है या नहीं। संबंधित प्राधिकारी स्वयं निर्णय लेंगे।

तदनुसार, याचिका का खारिज किया जाता है।

4. इसके बाद याचिकाकर्ता द्वारा स्थापित दावा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ता संख्या 2 06.06.2014 को विवाहित पुत्री थी।

5. इस आदेश पर सवाल उठाते हुए, रिट याचिकाकर्ता संख्या 2 ने रिट-ए संख्या 8457/2016 (श्रीमती पुष्पा देवी उर्फ पुष्पा कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य) दायर की, जिसे 24.02.2016 को खारिज कर दिया गया, जिसके आदेश नीचे उद्धृत हैं:

"याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राम सूरत सरोज और प्रतिवादियों के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री माता प्रसाद की बात सुनी गई।"

याचिकाकर्ता दिनांक 6.6.2014 के उस आदेश को रद्द करने की मांग कर रही है जिसके तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए उसके दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि वह एक विवाहित पुत्री है।

इस बात में कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता विवाहित पुत्री है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



विद्वान् स्थायी अधिवक्ता ने कुमारी शहनाज बेगम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2013) 3 उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी समिति 2398 में इस न्यायालय के पूर्ण पीठ के निर्णय पर भरोसा जताया है और प्रस्तुत किया है कि न्यायालय की पूर्ण पीठ ने धारा 2 (सी) में परिभाषित 'परिवार' शब्द की परिभाषा को व्यापक माना है और यह तर्क दिया है कि विवाहित पुत्री 'परिवार' के अर्थ में नहीं आती है और इसलिए याचिकाकर्ता की विवाहित पुत्री होने के नाते अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के दावे पर विचार नहीं किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती संबंधी नियम, 1974 की धारा 2 (सी) में 'परिवार' शब्द को परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:-

(ग) मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार में निम्नलिखित संबंधी शामिल होंगे:

(i) पत्नी या पति:

(ii) पुत्र/दत्तक पुत्र;

(iii) अविवाहित पुत्रियाँ, अविवाहित दत्तक पुत्रियाँ, विधवा पुत्रियाँ और विधवा बहू;

(iv) मृतक सरकारी कर्मचारी पर आश्रित अविवाहित भाई, अविवाहित बहनें और विधवा माता, यदि मृतक सरकारी कर्मचारी अविवाहित था:

(v) सक्षम न्यायालय द्वारा "मृत" घोषित किए गए ऐसे लापता सरकारी कर्मचारी के उपर्युक्त संबंधी:

इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने कुमारी शहनाज बेगम (उपरोक्त) मामले में 1974 के नियमों की धारा 2 (सी) में परिभाषित 'परिवार' शब्द पर विचार किया है और निष्कर्ष के रूप में इस परिभाषा को संपूर्ण माना है। विवाहित पुत्री का उल्लेख 'परिवार' की परिभाषा में नहीं है और यदि 'परिवार' शब्द को संपूर्ण माना गया है तो इसका अर्थ यह होगा कि विवाहित पुत्री अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का दावा नहीं कर सकती। इसलिए, कुमारी शहनाज बेगम (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारित कानून के



मद्देनजर, याचिकाकर्ता अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का दावा नहीं कर सकती।

रिट याचिका संख्या 40877/2015, सोमवैत उर्फ गिरिजा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में इस न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि विवाहित बेटी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की हकदार नहीं है।

अतः, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15.2.2016 को रिट याचिका संख्या 40877/2015, सोमवैत उर्फ गिरिजा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में पारित निर्णय तथा इस न्यायालय के पूर्ण पीठ के कुमारी शहनाज बेगम (उपरोक्त) मामले में दिए गए निर्णय के मद्देनजर रिट याचिका खारिज की जाती है।

6. याचिकाकर्ता संख्या 2 द्वारा एक अंतर-अदालती अपील दायर की गई, जो विशेष अपील संख्या 826/2016 (श्रीमती पुष्पा देवी उर्फ पुष्पा कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य) थी, जिसे 08.12.2022 को स्वीकार कर लिया गया, जिसका उल्लेख नीचे किया गया है:

"अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।"

यह अंतर-अदालती अपील विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 24.02.2016 के उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध है जिसमें अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 06.06.2014 के उस आदेश को रद्द करने के लिए दायर रिट ए संख्या 8457/2016 को खारिज कर दिया गया था, जिसमें अनुकंपा नियुक्ति के लिए उसके दावे को केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि वह सेवा के दौरान दिवंगत कर्मचारी की विवाहित पुत्री है।

विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस न्यायालय के पूर्ण पीठ के एक निर्णय, कुमारी शहनाज बेगम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2013 (3) उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी समिति 2398 पर भरोसा करते हुए अपीलकर्ता की रिट याचिका खारिज कर दी, जिसमें यह देखा गया था कि उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती संबंधी नियम, 1974 (संक्षेप में 1974 नियम) के नियम 2 (सी) में

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



दी गई 'परिवार' की परिभाषा व्यापक है और चूंकि विवाहित पुत्री को 'परिवार' की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए अनुकंपा नियुक्ति के लिए उसका दावा टिकाऊ नहीं है।

एकल न्यायाधीश के निर्णय और आदेश पर सवाल उठाते हुए, अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि श्रीमती विमला श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2016 (1) ए.डी.जे. 21 (डी.बी.) मामले में एक डिवीजन बेंच के फैसले द्वारा, सेवारत मृत्यु नियम, 1974 के नियम 2(सी)(iii) में 'परिवार' की परिभाषा में 'बेटियों' शब्द से पहले प्रयुक्त 'अविवाहित' शब्द को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के विरुद्ध मानते हुए निरस्त कर दिया गया है, इसलिए अपीलकर्ता (रिट याचिकाकर्ता) के वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि श्रीमती विमला श्रीवास्तव के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय का अनुसरण करते हुए, कुमारी शहनाज बेगम के मामले (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय से भिन्न करते हुए, मृतक कर्मचारी की विवाहित पुत्री के अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा दिनांक 23.12.2015 के आदेश द्वारा विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 863/2015 (नेहा श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में विचार करने का निर्देश दिया गया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, लेकिन उक्त चुनौती खारिज कर दी गई थी। नेहा श्रीवास्तव के मामले (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.07.2019 को विशेष अनुमति अपील (सी) संख्या 22646/2016 में पारित आदेश हमारे समक्ष रखा गया है, जो इस प्रकार है:

"विशेष अवकाश याचिकाएं खारिज की जाती हैं।"

उपरोक्त के फलस्वरूप, सभी लंबित अंतरिम आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है।"

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी कहा कि श्रीमती विमला श्रीवास्तव के मामले (उपरोक्त) में डिवीजन बेंच के फैसले के अनुसार, राज्य द्वारा 'परिवार' की



परिभाषा में संशोधन किया गया है और 'बेटियों' शब्द से पहले 'अविवाहित' शब्द को हटा दिया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, यह निवेदन किया गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द किया जाना चाहिए और याचिकाकर्ता की अनुकंपा नियुक्ति की मांग को स्वीकार किया जाना चाहिए।

1974 के नियमों के प्रावधानों के अनुसार उचित विचार-विमर्श किया जाए।

राज्य-प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता का दावा उस अवधि से संबंधित है जब असंशोधित नियम लागू थे और चूंकि असंशोधित नियमों में विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ प्रदान नहीं किया गया था, इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका को खारिज करना उचित था।

हमने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया है। यह निर्विवाद है कि इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा श्रीमती विमला श्रीवास्तव के मामले (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय के अनुसार, 1974 के नियमों के नियम 2(सी)(iii) में प्रयुक्त शब्द 'अविवाहित' को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के विरुद्ध घोषित किया गया है। यह भी निर्विवाद है कि उक्त निर्णय के बाद नेहा श्रीवास्तव के मामले (उपरोक्त) में विवाहित पुत्री के दावे पर विचार करने का निर्देश जारी किया गया था। नेहा श्रीवास्तव के मामले में इस न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। ऐसी परिस्थितियों में, श्रीमती विमला श्रीवास्तव के मामले में 1974 के नियमों के नियम 2(सी)(iii) में प्रयुक्त शब्द 'अविवाहित' को निरस्त करने का आदेश यथावत है। यह सर्वविदित है कि जब कोई न्यायालय किसी कानून की घोषणा करता है, तो वह पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होता है, जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा निर्देश न दिया गया हो। विमला श्रीवास्तव के फैसले (उपरोक्त) में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो कि यह उन मामलों पर लागू नहीं होगा जहां कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु फैसले की तारीख से पहले हुई हो। ऐसी स्थिति में, सेवा के दौरान मृत कर्मचारी की पुत्री द्वारा 1974 के नियमों के तहत अनुकंपा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



नियुक्ति के दावे पर उसके वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना विचार किया जाना चाहिए।

परिणामस्वरूप, चूंकि अपीलकर्ता की अनुकंपा नियुक्ति की अर्जी केवल इस आधार पर खारिज कर दी गई है कि वह मृतक कर्मचारी की विवाहित पुत्री है, इसलिए माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका खारिज करने का निर्णय और आदेश मान्य नहीं हो सकता। अतः अपील स्वीकार की जाती है। माननीय एकल न्यायाधीश का दिनांक 24.02.2016 का आदेश रद्द किया जाता है। दिनांक 06.06.2014 का वह आदेश भी निरस्त किया जाता है जिसमें अपीलकर्ता की अर्जी को केवल इस आधार पर खारिज किया गया था कि वह विवाहित पुत्री है। सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह अपीलकर्ता की अर्जी पर विधि के अनुसार नए सिरे से निर्णय करे।

7. इसके बाद प्रतिवादियों द्वारा दिनांक 07.08.2025 और 15.07.2025 को विवादित आदेश पारित किया गया, जिसमें यह माना गया कि याचिकाकर्ता का दावा परिसीमा से बाधित है और 14 वर्षों की अवधि के लिए विलंबित है।

8. राज्य सरकार के दिनांक 07.08.2025 और 15.07.2025 के आदेश पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आदेश यह तर्क एक क्षण के लिए भी मान्य नहीं है कि अनुकंपा नियुक्ति के दावे को विलंब और लापरवाही के आधार पर अस्वीकार करने का कोई प्रश्न ही नहीं था, विशेष रूप से तब जब याचिकाकर्ता सक्षम न्यायालय के समक्ष मुकदमा लड़ रही थी और प्रतिवादियों द्वारा मुकदमे के पिछले चरण में लिया गया यह रुख कि याचिकाकर्ता एक विवाहित पुत्री है इसलिए उसे अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती, खारिज कर दिया गया था और इसलिए अब याचिकाकर्ता के अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर योग्यता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।

10. दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि राज्य सरकार द्वारा याचिकाकर्ता की विलंब क्षमा की मांग को खारिज करने का जो भी आदेश पारित किया गया हो, उसे अवैध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विलंब एक प्रमुख कारक है। मृतक परिवार के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कानूनी अधिकार इतने लंबे समय तक बने रह सकते हैं, ऐसे में अनुकंपा नियुक्ति पर विचार करने का आदेश जारी करना उचित नहीं होगा।

11. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

12. तथ्य विवादित नहीं हैं। यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता संख्या 2 के पिता और याचिकाकर्ता संख्या 1 के पति का निधन 13.01.2004 को हुआ था। याचिकाकर्ता संख्या 2 ने अनुकंपा नियुक्ति का दावा किया, 20.09.2012 को जांच चल रही थी, याचिकाकर्ता संख्या 2 द्वारा रिट-ए संख्या 19687/2014 (पुष्पा देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य) दायर की गई, जिसका निपटारा याचिकाकर्ता संख्या 2 की अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर विचार करने के लिए 03.04.2014 को किया गया। 2. जिसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि रिट याचिकाकर्ता 06.06.2014 को विवाहित पुत्री थी, उक्त आदेश को रिट-ए संख्या 8457/2016 (श्रीमती पुष्पा देवी उर्फ पुष्पा कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य) में चुनौती दी गई थी, जिसे 24.02.2016 को खारिज कर दिया गया था, जिसके खिलाफ रिट याचिकाकर्ता संख्या 2 द्वारा अंतर-अदालती अपील विशेष अपील संख्या 826/2016 के रूप में दायर की गई थी, जिसे रिट याचिकाकर्ता के दावे पर कानून के अनुसार नए सिरे से विचार करने के लिए 08.12.2022 को स्वीकार कर लिया गया था।

13. स्पष्टतः, प्रतिवादियों द्वारा पहले कभी भी विलंब और लापरवाही का कोई आधार नहीं उठाया गया था और याचिकाकर्ता का यह भी मामला नहीं है कि वह गहरी नींद में थी। चूंकि वह होश में थी, अपने अधिकारों का दावा करते हुए उन्होंने इस न्यायालय का रुख अपनाया था और प्रतिवादियों द्वारा यह कहना कि याचिकाकर्ता विवाहित पुत्री है, इसलिए उसे अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जा सकता, इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में, प्रतिवादियों के लिए यह उचित नहीं है कि वे इस न्यायालय में आने में देरी के बहाने याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दें।

14. इसके अलावा, चुनौती दिए गए आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि याचिकाकर्ता के इस दावे पर विचार किया गया है कि परिवार निर्धन नहीं है। इसलिए, चुनौती दिए गए आदेश को मान्य नहीं ठहराया जा सकता।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



15. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित तरीके से किया जा रहा है:

(क). राज्य सरकार द्वारा दिनांक 07.08.2025/ 15.07.2025 को पारित आदेश रद्द किया जाता है।

(ख) मामले को वापस भेज दिया जाता है ताकि आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर विधि के अनुसार योग्यता के आधार पर नया आदेश पारित किया जा सके।

16. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि रिट याचिका का निर्णय प्रतिवादियों से कोई प्रतिक्रिया मांगे बिना ही कर दिया गया है। अतः, इस आदेश को पारित करना यह नहीं माना जाना चाहिए कि न्यायालय ने मामले के गुण-दोषों पर विचार किया है और निर्णय लेने वाले प्राधिकारी के लिए यह खुला रहेगा कि वह पात्रता, हक, परिवार की दरिद्रता (यदि कोई हो) और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, दावे पर कानून के अनुसार ही विचार करे।

17. तदनुसार, रिट याचिका का खारिज कर दिया गया है।

18. आज दाखिल किए गए निर्देश अभिलेख में दर्ज कर लिए गए हैं और परिशिष्ट ए के रूप में चिह्नित किए गए हैं।

फरवरी 17, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”